

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-16/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ज्योति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय के द्वारा दिनांक-01.02.2026 से 31.01.2027 तक कुल-365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-967(25), दिनांक-06.05.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० कुमारी के पक्ष में 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-16/2026- 2064(2)

पटना, दिनांक 21/08/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/अधीक्षक/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/डा० ज्योति कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/8/2026
सरकार के अवर सचिव।
R